

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcf.sikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ () एफसीए / उवसंसी / 2022-23 / 2266

दिनांक: 14/03/23

निमित्त:- चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
नेछवा, सीकर।

विषय:- Diversion of 0.60 Ha. (Old 0.95 Ha.) Forest land For Construction of CHC, In Forest Block -Nechhawa (PF) Village- Nechhawa, Teh- Laxmangarh, Dist- Sikar (Raj.)
(Proposal no. FP/RJ/DISP/50853/2020) Date- 11/10/2020

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज042/2022-जेपीआर दिनांक 20.02.2023 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर का पत्रांक 5243 दिनांक 13.03.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1921 दिनांक 02.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज042/2022-जेपीआर दिनांक 20.02.2023 द्वारा 0.60 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के उक्त पत्र में अधिरोपित शर्त संख्या C- 1 की पालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र 0.60 है0 के पास स्थित वन भूमि पर 6 फीट दीवार निर्माण के लिये वन सीमा के पास स्थित आबादी की तरफ 350 र.मी. लंबाई में पक्की दीवार निर्माण हेतु निम्नानुसार राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा राशि 350 र.मी. x 3350/-रूपये प्रति र.मी. =11,72,500 (अक्षरे ग्यारह लाख बहतर हजार पांच सौ रूपये मात्र) जमा करावें।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक,

सीकर

दिनांक:-

क्रमांक एफ सम/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक, सीकर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(441/38)2020/एफसीए/प्रमुवसं./ 5243

दिनांक 13-03-2023

उप वन संरक्षक,
सीकर

विषय:-Diversion of 0.95 ha. forest land in favour of CHC NECHHWA, SIKAR (RAJ) for PROPOSED DIVERSION OF 0.95 HECT. AREA- FOR CONSTRUCTION OF "CHC, NECHHWA". SIKAR SALASAR ROAD, n VILLAGE-NECHHWA. RANGE-LAXMANGARH. TEHSIL-LAXMANGARH. DISTT - SIKAR (RAJ.) (Proposal No. FP/RJ/DISP/50853/2020)

सन्दर्भ:-उप वन संरक्षक, सीकर का पत्रांक 1921 दिनांक 02.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आय द्वारा जारी डिमांड नोट में सैद्धान्तिक स्वीकृति की विन्दु संख्या 'C' में अधिरोपित शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है आप द्वारा जारी संदर्भित पत्र दिनांक 02.03.2023 में यूजर एजेन्सी से 1172500/- की राशि उप वन संरक्षक सीकर के नाम से लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जो सही नहीं है उक्त राशि यूजर एजेन्सी से सीधे ही जरिये ई-चालान कम्पा खाते में जमा करावें।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(441/38)2020/एफसीए/प्रमुवसं./ 5244

दिनांक 13-03-2023

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर